मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5– 3 /2017/1/8/सा.प्र.वि./मु.स. भोपाल,दिनांक – 20/03/17

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– अवमानना प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

———

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर के समक्ष दायर एक अवमानना प्रकरण विगत दिनों, राज्य शासन की जानकारी में आया है जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर को नोटिस की तामीली होने के बाद भी उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष अवमानना प्रकरण का जवाब प्रस्तुत करने/ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु कार्यवाही नहीं की गई।

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा अवमाननाकर्ता अधिकारी को जमानती वारंट के माध्यम से न्यायालय में बुलाने का विकल्प होते हुए भी, इस विकल्प का प्रयोग करने के बजाय यह मामला मुख्य सचिव के ध्यान में लाए जाने का आदेश पारित कर कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।

3/ पूर्व में मुख्य सचिव कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग तथा विधि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार किसी प्रकरण में माननीय न्यायालय का आदेश शासन हितों के विपरीत होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आदेश का पालन किया जाना उपयुक्त न समझा जाए तो उसके विरूद्ध समय–सीमा के भीतर अपील/रिवीजन दायर करने की कार्यवाही करने अथवा विधि के प्रावधानों के अनुसार यदि न्यायालय का आदेश अंतिम स्वरूप में आ जाए तो उसका नियमानुसार पालन करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

निरन्तर.....2

4/ राज्य शासन के विभिन्न अधिकारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय आदि में दायर होने वाले अवमानना प्रकरणों में संबंधित अधिकारी को नाम से प्रतिवादी बनाया जाता है जिनमें वकालतनामा आदि पर संबंधित अधिकारी के ही हस्ताक्षर कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु इन प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हेतु संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तथा सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर वादोत्तर, हलफनामा, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा समय–समय पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सक्षम अधिकारी को अवगत कराने का दायित्व संपर्क अधिकारी का होता है। संपर्क अधिकारी द्वारा अपना दायित्व निर्वहन न करने की स्थिति में, अवमानना याचिकाओं मं शीर्ष प्रतिवादियों को विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है।

5/ अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राज्य शासन के किसी भी अधिकारी के विरूद्ध अवमानना प्रकरण दायर होने पर, तत्काल ही सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा संपर्क अधिकारी द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर उनके परामर्श के अनुसार समुचित कार्यवाही करने तथा माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/निर्देशों से सक्षम अधिकारियों को अविलम्ब अवगत कराते हुए निर्देशानुसार उपयुक्त विधिक कार्यवाही करने/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाए।

6/ अवमानना प्रकरण में जवाब/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अतः अवमानना प्रकरण उनकी जानकारी में आने के बाद तत्काल ही प्रतिवादी अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें किसी प्रतिकूल परिणाम का सामना न करना पड़ें।

7/ कृपया इन निर्देशों से सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए, कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक एफ 5–3 /2017/1/8/मा.वि./ब्रि.ग. भोपाल,दिनांक–20/03/17
प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
2 रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर ।
3. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।
10 प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
11 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
14 आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15 संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त लिटिगेशन, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर।
16 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर/ इन्दौर, ।

मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन